कार्यालय आदेश

पत्रांक : 2/सी0 एम0 टी0–प्रदूषण–52/06........149........ दिनांक 15/1/2010

बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली – 2003 के नियम 163 में विनियमित प्रदूषण जॉच केन्द्र स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति निर्गमण की कार्रवाई की जाती है। अनुज्ञप्ति निर्गमण हेतु नियम 163 (ड) एव अन्य सुसंगत कण्डिकाओं में एतद् हेतु विहित प्रकियाओं का अनुपालन किया जाता है। इन प्रावधानों के अनुपालन हेतु भौतिक (स्थल) निरीक्षण प्रतिवेदन एक आवश्यक तथ्य है।

उक्त के आलोक में स्थल निरीक्षण/जॉच प्रतिवेदन हेतु संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरीक्षक को स्वतंत्र रूप से प्राधिकृत किया जाता है। इन दोनों पदाधिकारियों में से किसी भी पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन/जॉच प्रतिवेदन अनुज्ञप्ति निर्गमण हेतु पर्याप्त होगा। संबंधित पदाधिकारी अपने जॉच प्रतिवेदन/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुज्ञप्ति निर्गमण/नवीकरण करने अथवा न करने की स्पष्ट अनुशंसा एक सप्ताह के भीतर करेंगें।

15.1.10

संयुक्त सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक ....149........ दिनांक 15/1/2010

प्रतिलिपि :– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.10

संयुक्त सचिव

Govt-I

94